(121)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

संख्या– एफ.डीडीएम/कोविड–19/2020/01/121 दिनांक 01.05.2020

आदेश

जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

और जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उपायों के लिए सभी संबंधित प्राधिकरणों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/अनुदेश जारी किये हैं।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी आदेश संख्या एफ/02/07/2020/एस.1/44 दिनांक 13.04.2020 के अंतर्गत सभी ट्रकों और अन्य वस्तु/माल वाहक वाहनों, चाहे सामान का स्वरूप अनिवार्य या अन्य किसी भी प्रकार का क्यों न हो, की अन्तर–राज्यीय और राज्य के भीतर सुचारू एवं बाधा रहित आवा–जाही सुनिश्चित करने के बारे में पहले ही कतिपय स्पष्टीकरण जारी कर चुका है।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी आदेश संख्या एफ/02/07/2020/एस.1/53 दिनांक 15.04.2020 के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सभी विभागों को निर्देश जारी कर चुका है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 के तहत जारी समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों को सख्ती से लागू करें।

और जबकि केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, ने अपने अर्ध–शासकीय पत्र संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 30.04.2020 (प्रति संलग्न) में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि देश के विभिन्न भागों में अंतर–राज्यीय सीमाओं से ट्रकों की मुक्त रूप से आवा–जाही की अनुमति नहीं दी जा रही है और स्थानीय प्राधिकारी अलग से पास की मांग करते हैं। यह मामला पहले भी उपयुक्त तरीके से स्पष्ट किया जा चुका है। ऊपर वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार यह दोहराया जा रहा है कि ट्रकों और माल वाहकों, जिनमें खाली ट्रक भी शामिल हैं, के लिए अलग से पास की कोई आवश्यकता

नहीं होगी। ऐसा करना लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना अनिवार्य है।

और जबकि, सभी संबद्ध प्राधिकारियों का ध्यान लॉकडाउन उपायों के बारे में समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों के खंड 12(i) और 12(vi) की ओर दिलाया जा रहा है, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:–

खंड 12(i)

''सभी माल वाहक वाहनों की आवा–जाही की अनुमति होगी।''

खंड 12(vi)

''सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों को एक हेल्पर और दो ड्राइवरों के साथ आने–जाने की अनुमति होगी, परन्तु ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। माल उतारने के बाद अथवा कहीं से माल उठाने के लिए जाते समय खाली ट्रक/माल वाहक वाहन को भी आवा–जाही की अनुमति होगी।''

इसलिए अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम खड की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में एतद द्वारा दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उनके काउंटरपार्ट जिला पुलिस उपायुक्तों और अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों के खंड 12 (i) और खंड 12 (vi) के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करें और सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों (खाली ट्रक/वाहन सहित) को एक हेल्पर और दो ड्राइवरों के साथ बिना किसी रूकावट के आने–जाने की अनुमति दें, परन्तु ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। प्राधिकारी ट्रकों और माल वाहक वाहनों, खाली ट्रक आदि सहित, से दिल्ली की सीमा पार करते समय अलग पास की मांग नहीं करेंगे।

इसके अलावा उपरोक्त अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया जाता है कि वे इन दिशा–निर्देशों की जानकारी सभी जिला और फील्ड पदाधिकारियों को इस तरह से प्रदान करें कि जमीनी स्तर पर इनका अक्षरशः अनुपालन किए जाने में कोई अस्पष्टता न रहें

(विजय गोयल)

मुख्य सचिव दिल्ली

सेवा में :

1. विशेष सभी पुलिस आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
3. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. प्रधान सचिव (राजस्व)/संभागीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के सभी सदस्य।
14. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।
15. सिस्टम अनेलिस्ट, संभागीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली को इसे वेबसाइट ddma.delhigovt.nic.in पर अपलोड करने के लिए
16. गार्ड फाइल